रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032020-218884 CG-DL-E-24032020-218884

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2020/चैत्र 3, 1942

No. 167]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2020/CHAITRA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एव सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 15/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 198(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 (2017 का 12) जिसे) इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है(के नियम के 80 साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम जिसे) इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है(की धारा की 44 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के वार्षिक रिटर्न को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा के 44 अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी देने की समय सीमा को 30.06.2020 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

1585 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 15/2020-Central Tax

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till 30.06.2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मार्च. 2020

सं. 16/2020-केंद्रीय कर

- सा.का.नि. 199(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल औस सेवा कर नियम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात :-
 - 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम. 2020 है।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, 1 अप्रैल, 2020 से, उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
- "(4क) आवेदक, उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा ।"।
- 3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2020 से, नियम 9 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा-विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।"।
 - 4. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"कितिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तिविक सत्यापन- जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तिविक सत्यापन रिजस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रिजस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन में असफल होने के कारण अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सिहत अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।"।

- 5. उक्त नियमों के नियम, 43 के उपनियम (1) में 1 अप्रैल, 2020 से,-
- (क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातु :-
- " 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के सम्बन्ध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम, बीजक में परिलक्षित टैक्स की राशि होने के नाते, को इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किया जायेगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा:

परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (क) के अधीन पूर्वतन आया है इस खंड के अधीन तत्पश्चात् आयेगा क के अनुसार उल्लिखित ऐसे पूंजी मालों के संबंध में निवेश कर इस शर्त के अधीन इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में जमा की जाएगी, ऐसी पूंजी माल के दौरान अविध के लिए अपात्र प्रत्यय मानते हुए 'टाई' के रुप में उल्लिखित खंड (क) के अंतर्गत आते थे प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अंकों की दर पर परिकलित किया जाएगा और कर अविध जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा किया गया है, के निर्गम कर दायित्व को सम्मिलित करेगा:

परंतु यह कि रकम 'टाई' केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और समाकलित कर के निवेश कर पत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररुप जी एस टी आर – 3 ख में घोषित की जाएगी ";

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"क' की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड 'ग' के अधीन इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाता जमा किया गया, जिसका उपयोग कर अविध के दौरान होता है, जो कि "टी सी" के रुप में निरुपित किया जाता है, ऐसी पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा :

परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन पहले से ही आच्छादित है, वह खंड (ग) के अधीन पश्चातवर्ती आच्छादित था ऐसी पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य 'टी सी' पर जोड़ा जाएगा ; " ;

(ग) खंड (ड.) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :-

"स्पष्टीकरण – संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उक्त सूत्र, उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा।";

- (घ) खंड (च) का लोप किया जाएगा।
- 6. उपर्युक्त नियमावली में, नियम 80 में उपवाक्य (3) में, निम्नलिखित 'परन्तुक' के अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"बशर्ते कि हर पंजीकृत व्यक्ति जिसका सकल कारोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पांच करोड़ रूपये से अधिक रहा होगा, को अपने बही खातों की धारा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षित करानी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षित वार्षिक बही खाते की एक प्रति, विधिवत अभिप्रमाणित हो, वित्तीय वर्ष 2018-19 के FORM GSTR-9C में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त के द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।"

- 7. उक्त नियमों के, नियम 86 में उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(4क) जहां रजिसट्रीकृत व्यक्ति किसी संदत्त रकम जो कि दोषपूर्ण कर संदत्त या अधिक्य में संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, को प्ररुप जी एस टी पी एम टी-03 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा।"
 - 8. उक्त नियमों के नियम 89 में, उपनियम (4) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

- '(ग) "मालों का शून्य-दर पूर्ति का न्यापारावर्त" का अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अविध के दौरान किए गए मालों की शून्य दर पूर्ति की कीमत है जो प्रदायकर्ता द्वारा यथाघोषित वही या समान रुप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू मालों की पूर्ति के बराबर की कीमत का 1.5 गुना है, जो उपनियम (4क) या उपनियम 4 (ख) या दोने के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारावर्त से कम है:'
 - 9. उक्त नियमों के नियम 92 में,-
 - (क) उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(1क) जहां शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रुप में संदत्त किसी रकम की वापसी का आवेदन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को संदेय है, वह नकदी में संदत्त किए जाने के लिए वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररुप आर एफ डी-06 में एक आदेश देगा अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अविध के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकलित रकम के लिए आनुपातिक और वापसी योग्य रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय के रुप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररुप जी एस टी पी एम टी -03 जारी करेगा।";
- (ख) उप-नियम (4) में, "उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या उप-नियम (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ग) उप-नियम (5) में, "उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या उप-नियम (1क) शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे" ;
- 10. उक्त नियमों के नियम 96 के उप-नियम (10) के खंड (ख) जो कि 23 अक्तूबर, 2017 में प्रवृत्त हुआ, में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- **"स्पष्टीकरण.-** इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ केवल उपयोग के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जाहं पंजीकृत व्यक्ति निवेशों पर समाकलित माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) छूट प्राप्त होगी।"
 - 11. उक्त नियमों में, नियम 96क के बाद, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :-
- "96 ख. मालों के निर्यात पर अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है –
- (1) जहां मालों के निर्यात या मालों के निर्यात पर एकीकृत कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग न किए गए की कोई वापसी किसी आवेदन को संदत्त की गई है किंतु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रुप से या उसके भाग रुप में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को सम्मिलित करते हुए, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया के वसूली न किए गए के विस्तार तक, उक्त अवधि के समाप्ति के तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, यथास्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें वह रकम का प्रतिदाय किया गया अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूली जाएगी जैसी भी स्थिति हो, धारा 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए वसूली की जाएगी:

परंतु जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अविध के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदत्त वसूली की वापसी नहीं होगी।

- (2) जहां विक्रय प्रक्रिया आवेदक द्वरा वसूली की जाती है वसूली की रकम के पश्चात् संपूर्ण रुप से या उसके भाग रुप में उपनियम (1) के अधीन उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली की तारीख से तीस महीने की अविध के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऐसी वसूल की गई रकम विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की जाएगी, परंतु विक्रय प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अविध के भीतर वसूल की गयी हो।"
- 12. उक्त नियम में, नियम 141 के उप-नियम (2) में "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "उचित अधिकारी " रखा जाएगा।
- 13. उक्त नियम में, प्ररुप जी एस टी आर एफ टी-01 में नियम 89(2)(छ) के अधीन घोषणा के बाद निम्नलिखित वचनबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

वचन बंध

मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि जी एस टी नियम, 2017 की धारा 96 ख के साथ पठित आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के अनुसार विदेश विनियम की विप्रेषणादेश की दशा में ब्याज के साथ मंजूर प्रतिदाय की राशि सरकार को जमा करुंगा।

हस्ताक्षर-

नाम

पदनाम /प्रास्थिति ।"

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्यांक 3/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक 02/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 01 जनवरी, 2020 को संख्यांक सा.का.नि. 4(अ), तारीख 01 जनवरी, 2020 में प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 16/2020-Central Tax

- **G.S.R. 199(E).** In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2020.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

- "(4A) The applicant shall, while submitting an application under sub-rule (4), with effect from 01.04.2020, undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration."
- 3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), with effect from 01.04.2020, the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "Provided that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases."
- 4. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:-
- "Physical verification of business premises in certain cases.-Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication before the grant of registration, or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person, done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification."
- 5. In the said rules, in rule 43, in sub-rule (1) with effect from the 1st April, 2020,-
- (a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
- "c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A, being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as 'A' shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a),denoted as 'T_{ie}', shall be calculated at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:

Provided further that the amount 'T_{ie}' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B**.

Explanation.- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause."

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as 'T_c', shall be the common credit in respect of such capital goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital good(s) shall be added to arrive at the aggregate value 'Tc';";

- (c) in clause (e), the following Explanation shall be inserted, namely:-
- "Explanation.- For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods.";
- (d) clause (f) shall be omitted.
- 6. In the said rules, in rule 80, in sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C** for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner."

- 7. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be recredited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03.**".
- 8. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (C), the following clause shall be substituted, namely:-
- '(C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;'.
- 9. In the said rules, in rule 92,-
- (a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(1A)Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM RFD-06** sanctioning the amount of refund to be paid, in cash, proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue **FORM GST PMT-03** re-crediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger.";
- (b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (1A)", shall be inserted;
- (c) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, figures and letter "or sub-rule (1A)", shall be inserted.
- 10. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (10),in clause (b) with effect from the 23rd October, 2017, the following Explanation shall be inserted, namely,-
- **"Explanation.-** For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications."
- 11. In the said rules, after rule 96A, the following rule shall be inserted, namely:-
- "96B. Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised. —(1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period or, as the case may be, the extended period, failing which the amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act, as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered.

(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the Reserve Bank of India."

- 12. In the said rules, in rule 141, in sub-rule (2), for the word "Commissioner". the words "proper officer" shall be substituted.
- 13. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**, after the declaration under rule 89(2)(g), the following undertaking shall be inserted, namely:-

"UNDERTAKING

I hereby undertake to deposit to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the CGST Rules 2017.

Signature-

Name –

Designation / Status".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, vide number G.S.R. 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 08/2020 - Central Tax, dated the 02nd March, 2020, published vide number G.S.R. 147 (E), dated the 02nd March, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 17/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे अर्थात्:-

- (क) व्यष्टि;
- (ख) सभी प्रकार के प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (घ) किसी हिन्द अविभक्त कटुम्ब का कर्ता।
- 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत होगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 17/2020-Central Tax

G.S.R. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:—

- (a) Individual;
- (b) authorised signatory of all types;
- (c) Managing and Authorised partner; and
- (d) Karta of an Hindu undivided family.
 - 2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No.CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मार्च. 2020

सं. 18/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 201(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करती है जिससे कोई व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यष्टि को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत होगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 18/2020-Central Tax

G.S.R. 201(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6B) of section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which an individual shall undergo authentication, of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said individual, he shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 19/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 202(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करती है जिससे–

- (क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता

केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत होगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 19/2020-Central Tax

- **G.S.R. 202(E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which the -
 - (a) authorised signatory of all types;
 - (b) Managing and Authorised partners of a partnership firm; and
 - (c) Karta of an Hindu undivided family,

shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 20/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 203(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरे और तीसरे परंतुकों के लिए निम्नलिखित परंतुकों प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जुलाई, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"।

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 78/2019-केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.िन. 957(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 20/2020-Central Tax

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.26/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.452(E), dated the 28th June, 2019, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, for the second and third proviso, the following provisos shall be substituted, namely: –

"Provided further that the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act in **FORM GSTR-7** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2019 to October,2019, whose principal place of business is in the erstwhile State of Jammu and Kashmir shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th March, 2020:

Provided also that the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act in **FORM GSTR-7** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of November, 2019 to February, 2020, whose principal place of business is in the Union territory of Jammu and Kashmir or the Union territory of Ladakh shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th March, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th Day of December, 2019.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 26/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 452(E), dated the 28th June, 2019 and was last amended by notification No. 78/2019 – Central Tax, dated the 26th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 957(E), dated the 26th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 21/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 204(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2019- केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. सं. 768(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसचना के. दसरे पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन तिमाही अक्टूबर- दिसंबर, 2019 के दौरान की गई माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में 24 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत करेंगे।"।

2. यह अधिसूचना 31 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा.सं .CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 45/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. 768(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 21/2020-Central Tax

G.S.R. 204(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2019 – Central Tax, dated the 09th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 768 (E), dated the 09th October, 2019, namely:–

In the said notification, in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that for registered persons whose principal place of business is in the erstwhile State of Jammu and Kashmir or the Union territory of Jammu and Kashmir or the Union territory of Ladakh, shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 effected during the quarter October-December, 2019 till 24th March, 2020."

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 31 st Day of January, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 45/2019 – Central Tax, dated the 09th October, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 768(E), dated the 09th October, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 22/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 205(अ).—आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 46/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 769(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:--

क. उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पहले परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :--

"परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है,केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, अक्टूबर, 2019 मास के लिए,समय-सीमा 24 मार्च, 2020 तक है।"।

ख.उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, समय-सीमा 24 मार्च, 2020 तक है।"।

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा.सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 46/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. 769(अ), तारीख 09 अक्टूबर द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 76/2019-केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.िन. 955(अ) 26 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 22/2020-Central Tax

G.S.R. 205(E).— In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.46/2019 – Central Tax, dated the 9th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.769(E), dated the 09th October, 2019, namely:–

i. In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided that for registered persons whose principal place of business is in the erstwhile State of Jammu and Kashmir, the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or current financial year, for the month of October, 2019 till 24th March, 2020."

ii. In the said notification, in the first paragraph, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that for registered persons whose principal place of business is in the Union territory of Jammu and Kashmir or the Union territory of Ladakh, the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate

turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or current financial year, for the months of November, 2019 to **February** till 24th March, 2020.".

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 20thDay of December, 2019.

[F. No.CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 46/2019 – Central Tax, dated the 09thOctober, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 769(E), dated the 09thOctober, 2019 and was last amended by notification No. 76/2019 – Central Tax, dated the 26thDecember, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 955(E), dated the 26th December, 2019.II

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मार्च. 2020

सं. 23/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 206(अ).—आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 454(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पहले परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए, समय-सीमा 24 मार्च, 2020 तक है।"।

2. यह अधिसुचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 28/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. 454(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 63/2019-केंद्रीय कर, तारीख 12 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.िन. 907(अ) 12 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 23/2020-Central Tax

G.S.R. 206(E).— In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.28/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.454(E), dated the 28th June, 2019, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided that for registered persons whose principal place of business is in the erstwhile State of Jammu and Kashmir, the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or current financial year, for each of the months from July, 2019 to September, 2019 till 24th March, 2020."

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 20thDay of December, 2019.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 28/2019 – Central Tax, dated the 28thJune, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 454(E), dated the 28thJune, 2019 and was last amended by notification No. 63/2019 – Central Tax, dated the 12th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 907(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 24/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 207(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2019- केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 453(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, पहले परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन तिमाही जुलाई-सितंबर, 2019 के दौरान की गई माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में 24 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत करेंगे ।"।

2. यह अधिसूचना 30 नवंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 27/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. 453(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 52/2019-केंद्रीय कर, तारीख 14 नवंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.िन. 846(अ) तारीख 14 नवंबर. 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 24/2020-Central Tax

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 453 (E), dated the 28th June, 2019, namely:–

In the said notification, in the second paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided that for registered persons whose principal place of business is in the erstwhile State of Jammu and Kashmir, shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 effected during the quarter July-September, 2019 till 24th March, 2020."

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 30^{th} Day of November, 2019.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 27/2019 – Central Tax, dated the 28thJune, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 453(E), dated the 28thJune, 2019 and was last amended by notification No. 52/2019 – Central Tax, dated the 14th November, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 846(E), dated the 14th November, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मार्च. 2020

सं. 25/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 208(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

क. उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पहले परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, अक्टूबर, 2019 के मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"।

ख. उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"।

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 07/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 फरवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.िन. 83(अ) तारीख 3 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 25/2020-Central Tax

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.44/2019 – Central Tax, dated the 09thOctober, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.767(E), dated the 09thOctober, 2019, namely:–

i. In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of October, 2019 for registered persons whose principal place of business is in the erstwhile State of Jammu and Kashmir, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th March, 2020."

ii. In the said notification, in the first paragraph, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of November, 2019 to February, 2020 for registered persons whose principal place of business is in the Union territory of Jammu and Kashmir or the Union territory of Ladakh, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th March, 2020."

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 20thDay of December, 2019.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 44/2019 – Central Tax, dated the 09th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.767(E), dated the 09th October, 2019 and was last amended by notification number 07/2020 – Central Tax, dated the 3rd February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 83(E), dated the 3rd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मार्च. 2020

सं. 26/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 209(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 455(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, चौथे परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 29/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 455(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 66/2019-केंद्रीय कर, तारीख 12 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 910(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 26/2020-Central Tax

G.S.R. 209(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.29/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.455(E), dated the 28th June, 2019, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

"Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of July, 2019 to September, 2019 for registered persons whose principal place of business is in the erstwhile State of Jammu and Kashmir, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th March, 2020."

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 20th Day of December, 2019.

[F. No.CBEC-20/06/04/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director **Note:** The principal notification No. 29/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 455(E), dated the 28th June, 2019 and was last amended by notification No. 66/2019 – Central Tax, dated the 12th December, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 910(E), dated the 12th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 27/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करती हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय-सीमा तक प्रस्तुत करेंगे. अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।	प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि ।
(1)	(2)	(3)
1	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	31 जुलाई, 2020
2	जुलाई, 2020 से सितंबर 2020	31 अक्टूबर, 2020

 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

> [फा. सं. CBEC-20/06/04/2020–जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 27/2020-Central Tax

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as

specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1	Time period for furnishing details in FORM
	are furnished	GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	April, 2020 to June, 2020	31 st July, 2020
2	July, 2020 to September, 2020	31 st October, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 28/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 211(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 28/2020-Central Tax

- **G.S.R. 211(E).** In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2020 to September, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.
- 2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April,2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मार्च. 2020

सं. 29/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 212(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तिमलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बाईसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हिरयाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरूणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

2. प्ररूप जीसएटीआर-3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय –उक्त नियमों के प्ररूप जीसएटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का,यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथा-विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात् नहीं, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 29/2020-Central Tax

G.S.R. 212(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from April, 2020 to September, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

Provided that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of

Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-second day of the month succeeding such month:

Provided further that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B. — Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]
PRAMOD KUMAR, Director